

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प. ग्वालियर कैंप भोपाल

दिनांक/ 27/8/15

नगरानी प्रकरण कं. :-

पीबीआर/2015 जिला हरदा

प्रस्तुत दिनांक :- 30-7-15

याचिकाकर्ता :-

1. रामेश्वर आ. विश्राम बलाही

2. श्रीकिशन आ. रामेश्वर बलाही

दोनो निवासी ग्राम गाडामोडखुर्द तहसील

रहटगाँव जिला हरदा

बनाम

उत्तरवादीगण :-

1. रत्नमणीबाई बेबा रविशंकर जाति बलाही

निवासी गाडामोडखुर्द तहसील रहटगाँव जिला हरदा

2. अनुविभागीय अधिकारी महोदय टिपरनी जिला

हरदा

3. तहसीलदार महोदय रहटगाँव जिला हरदा

नगरानी याचिका अन्तर्गत धारा-50 म.प.भू.रा.सं. 1959

अधिनस्थ न्यायालय आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग

होशंगाबाद के अपील प्रकरण कं.-279/अपील वर्ष 13-14 ग्राम गाडामोडखुर्द

तहसील रहटगाँव जिला हरदा मे पारित आदेश दिनांक- 12-5-15

की अथ अनियमितता से संतप्त एवं पीड़ित होकर यह नगरानी याचिका

माननीय न्यायालय के समक्ष जानकारी दिनांक से 4 दिन के विलंब से

प्रस्तुत है करने की अनुमति चाहते है विलंब क्षमा करने बाबत आवेदन पत्र


मयशमथत्र के संलग्न है :-

(Signature)

श्री नितीन श्यापक
अभिभासक द्वारा
आज दिनांक 30-7-15
को भोपाल कैंप पर
उक्तुत।

(Signature)
30-7-15

R 2713 PBR/155 हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिप्रायों के हस्ताक्षर
1. 3. 2017	<p>अभवेडकमन की ओर से सूचना उपरोक्त कोई भी उपाख्यत नहीं। अभवेडकमन की ओर से भी संज्ञीय डूबे आयेगाएक उपाख्यत। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपाख्यत नहीं। उक्त प्रकण अदम पैवी में खाएज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> अध्यक्ष</p>	